

02-09-2022

पत्रावली पेश हुयी।

पुकार करायी गयी।

पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत तिथियो से प्रार्थी उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। आज भी प्रार्थी उपस्थित नहीं है और न ही प्रार्थी की ओर से पैरवी की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी को अब मामले में कोई रुचि नहीं है। ऐसी दशा में प्रस्तुत विविध वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत विविध वाद, प्रार्थी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत विविध वाद, प्रार्थी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

अपर जिला जज, कोर्ट सं० 1

गाजियाबाद।